न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 46/20 GCMS NO 2020/00133

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

1. शिवकुमार
2. शिवदयाल
3. हरदयाल
4. दीनदयाल पुत्रान गिर्राज
5. इन्द्रा देवी
6. शकुन्तला देवी पुत्रियान गिर्राज
7. रामेश्वरी पत्नि स्व0गिर्राज जातियान ब्राहम्ण निवासीयान खेडिया तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. गजानन्द
2. शंभूदयाल
3. सुरेन्द्र कुमार
4. मदन मोहन
5. गोपाल लाल पुत्रान दुर्गालाल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान खेडिया तहसील मासलपुर जिला करौली
6. किरन देवी पुत्री दुर्गालाल पत्नि स्व0 रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडिया हाल निवासी पीतूपुरा तहसील व जिला करौली
7. कमला देवी पुत्री दुर्गालाल पत्नि देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी खेडिया हाल निवासी ट्रक युनियन करौली तहसील व जिला करौली
8. शिमला देवी पुत्री दुर्गालाल पत्नि दिनेश चंद जाति ब्राहम्ण निवासी खेडिया हाल निवासी रेल्वे फाटक के बाहर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
9. रामगिलास पुत्र कल्याण जाति माली निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली
11. बैंक आफ बडौदा शाखा करौली जरिये प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 57/17 निर्णय दिनांक 11.9.20 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री गजानन्द शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:51 IST
Reason: Self Attested

दिनांक 30.4.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अन्तर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.9.20 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट खिलाफ प्रतिवादीगण/रेस्पो0 पेश किया गया था। जिसे दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को नोटिस जारी करने पर प्रतिवादीगण की और से श्री गजानन्द शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात ख0न0 566,567,568,569,572,573,574,575,576,577,578,579,651,652,653,657,688 कुल किता 17 कुल रकबा 24 बीघा 8 बिस्वा स्थित वाके ग्राम खेडिया प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज हरभान पुत्र जगभान की खातेदारी की भूमि थी। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादीगण/अपीलांट के पिता गिर्राज पुत्र अन्तू ब्राहम्ण निवासी खेडिया के नाम दर्ज कर दी गई। जिसके बाबत प्रतिवादीगण व ताऊ के द्वारा एस.डी.ओ. करौली के न्यायालय मे मुकदमा न0 73/90 उनवानी मुरारी वगै0 बनाम गिर्राज वगै0 गिर्राज वादीगण/अपीलांट के पिता व पति के विरूद्व घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया गया जिसमे न्यायालय द्वारा सुनवाई कर विधि अनुसार दावा दिनांक 31.1.92 को डिक्री किया गया। उस डिक्री की इजराय मे न्यायालय के आदेशानुसार पालना कराई जाकर प्रतिवादीगण के पिता के नाम उक्त आराजी का खातेदार के रूप मे इन्द्राज किया गया। इस प्रकार इस दावे मे विवादित समस्त आराजीयात का पूर्व मे चले मुकदमे मे अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः व सारतः विवाध विषय व उसके हक के संबंध मे निर्णय किया जा चुका है। इस विवादित विषयवस्तु को अब नये दावे मे पुनः नही उठाया जा सकता है। इसलिए दावा 11 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार रेसज्यूडिकेटा की तारीफ मे आता है व न्यायालय को इस दावे मे वर्णित भूमि के बाबत दावा सुनने का अधिकार नही है। दावा वादी रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया आरबेट्रेरी है परवरिस रेस्पो0 है विधि विरूद्व है मनमान है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मे प्रतिवादी न0 1 की तलबी नही हुई है। दिनांक 24.2.20 तक प्रकरण तलबी प्रतिवादी न0 10 मे नियत था दिनांक 24.2.20 को वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादी न0 1 ता 9 के धारा 11 सीपीसी के [illegible] पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया परन्तु न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रति[illegible] आदेश नही कर पत्रावली गलत तौर पर बहस प्रार्थना पत्र मे नियत की जाकर दिनांक [illegible].20 को वकील अपीलांट के निवेदन के उपरान्त कि पत्रावली अभी तलबी प्रतिवादी न0 10 [illegible] नियत है प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 25.8.20 को बहस सुनी जाकर दिनांक 11.9.20 को जैर अपील निर्णय विधि प्रावधानो के विपरीत न्यायिक प्रकिया का पालन नही कर विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है जो निरस्त योग्य है। निर्णय दिनांक 31.1.92 मुकदमा न0 73/90 उनवानी मुरारी लाल बनाम गिर्राज की अपील न्यायालय हाजा मे उनवानी शिवकुमार वगै0 बनाम गजानंद वगै0 विचाराधीन है जिसमे अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार न्यायालय हाजा द्वारा किया जा चुका है। जिसकी रिविजन रेस्पो0 संख्या 1 ता 9 द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे मुकदमा न0 364/20 प्रस्तुत कर रखी है। जो जैरकार है। निर्णय दिनांक 31.1.92 न्यायालय हाजा मे अपील विचाराधीन होने से अंतिम नही है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व रूप से पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 11 सीपीसी के प्रावधान प्रकरण हाजा मे लागू नही होते है। कोई जबाब दावा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण दिनांक 25.8.20 को तलबी प्रतिवादी न0 10 मे नियत होना था। प्रकरण मे कोई विवाधक धारा 11 सीपीसी के संबंध मे रेस्ज्यूडिकेटा का कायम नही हुआ है। जबाब दावा प्रस्तुत करने की समय अवधि निकल चुकी है। जबाब दावा न्यायालय हाजा द्वारा जानबूझकर बन्द नही किया गय है जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.9.20 को अपास्त फरमाया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज हरभान पुत्र जगभान की खातेदारी की भूमि थी। जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादीगण/अपीलांट के पिता गिर्राज पुत्र अन्तू ब्राहम्ण निवासी खेडिया के नाम दर्ज कर दी गई। जिसके बाबत रेस्पो/प्रतिवादीगण व ताऊ के द्वारा एस.डी.ओ. करौली के न्यायालय मे मुकदमा न0 73/90 उनवानी मुरारी वगै0 बनाम गिर्राज वगै0 गिर्राज वादीगण/अपीलांट के पिता व पति के विरूद्व घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया गया जिसमे न्यायालय द्वारा सुनवाई कर विधि अनुसार दावा दिनांक 31.1.92 को डिक्री किया गया। उस डिक्री की इजराय मे न्यायालय के आदेशानुसार पालना कराई जाकर रेस्पो/प्रतिवादीगण के पिता के नाम उक्त आराजी का खातेदार के रूप मे इन्द्राज किया गया। इस प्रकार पूर्व मे विवादित समस्त आराजीयात के संबंध मे निर्णय पारित किया जा चुका है तो पुनः नये सिरे से दावा पेश करने का कोई औचित्य नही रहता है। उप जिला कलेक्टर करौली के पूर्व मुकदमा न0 73/90 की अपील जब न्यायालय हाजा मे कर रखी है तो उनको पुनः उसी आराजीयात के बाबत दावा पेश करने का कोई अधिकार विधि अनुसार नही होता है। अपीलांट /वादी द्वारा पुनः उसी आराजीयात के बाबत नये सिरे से वाद पत्र पेश किये जाने से वादी का दावा रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात के बाबत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पूर्व के एक वाद पत्र 73/90 उनवानी मुरारी वगै0 बनाम गिर्राज वगै0 द्वारा एस डी ओ करौली के यहॉ प्रस्तुत किये जाने पर एस डी ओ करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.1.92 को वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के वादीगण को काश्तकार खातेदार हिस्सावार घोषित किये जा चुके है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय प्रस्तुत करना स्वयं ने स्वीकृत किया है। जिसमे इस न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम मे पारित आदेश दिनांक 27.12.19 के विरूद्व निगरानी माननीय राजस्व मंडल मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत की गई है जो जैरकार होना दोनो पक्षो के अधिवक्तागणो ने स्वीकृत किया है। इस प्रकार वादी/अपीलांट द्वारा पुनः उसी आराजीयात को लेकर नये सिरे से अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया गया था। जो रेस्ज्यूडिंकेटा की श्रेणी मे आता है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 57/17 मे पारित निर्णय दिनांक 11.9.20 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.4.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:51 IST
Reason: SelfAttested